न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 402/2026</u>
बाढ़ थाना कांड संख्या 377/2026

गौतम यादव उर्फ गणेश कुमार, पिता–सारो यादव उर्फ श्रवण यादव, उम्र करीब 19 वर्ष
साकिन–नवाब कोठी कजमुनीचक, वार्ड नं0 18, थाना–बाढ़, जिला–पटना...............आवेदक अभियुक्त
बनाम्
बिहार सरकार .... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री बिजेन्द्र कुमार
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

05.08.2026 आवेदक अभियुक्त गौतम यादव उर्फ गणेश कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद बाढ़ थाना कांड संख्या 377/2026, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 352, 351(2), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 11.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है, तथा इसने कोई अपराध नही किया है। जिस प्रकार की घटना प्राथमिकी में कही गई है उस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। आवेदक अभियुक्त को ग्रामीण दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त पर विशिष्ट आरोप नही है। इस वाद का प्रतिलोम वाद बाढ़ थाना कांड संख्या <u>381/26</u> दर्ज किया गया है, जिसमें सूचक एवे उसके भाई अभियुक्त हैं। आवेदक ग्रामीण मजदूर है और कृषि कार्य करता है। उभय पक्ष आपस में पड़ोसी हैं। आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने हो तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

इस वाद के सूचक संतोष कुमार हैं। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 08.06.2026 को समय करीब 9 बजे सुबह छोटे यादव एवं गौतम यादव ने सूचक को मारपीट कर चाकू मार दिया, जिससे सिर घायल हो गया। इनलोगों से पूर्व से विवाद था और कई बार धमकी भी दिया था। सूचक जब काम करने जा रहा था तो उसी समय गाली–गलौज करते हुए मारपीट किया, उसी को लेकर घर समझाने गये तो यह घटना कर डाला। कई आदमियों के साथ मारपीट किया और जब बचाव करने विकास कुमार आया तो उनके उपर भी चाकु चला दिया। चाकु पेट में लगने का निशान है। पिता, पुत्र दोनो मोहल्ला के रंगदार

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या 402/2026</u>
बाढ़ थाना कांड संख्या 377/2026

लगातार
05.08.2026 हैं और कहते हैं कि जहां जाना है वहां जाओ, मेरा हर जगह पहचान है। सूचक का तबियत खराब होते ही अस्पताल आकर इलाज करवाया।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक को मारपीटकर चाकु से हमला कर जख्मी कर देने का आरोप है। अभियुक्तों द्वारा बचाव करने आये विकास पर भी चाकु से हमला करने का आरोप है। कांड दैनिकी के पारा–2 में वादी का पुनः बयान तथा पारा–8, 9 एवं 10 में साक्षी काजल देवी, विभा देवी एवं शोभा देवी ने घटना का समर्थन किया है। पारा–47 में अभियुक्तों के विरुद्ध पर्यवेक्षण टिप्पणी में मामला धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 352, 351(2), 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सत्य पाया है। पारा–63 में जख्म प्रतिवेदन का वर्णन है, जिसमें जख्मी संतोष कुमार के सिर पर एवं बांह पर जख्म कारित होने की बात का वर्णन है तथा सभी जख्मों की प्रकृति साधारण दर्शायी गई है तथा कठोर एवं ठोस पदार्थ द्वारा कारित किये जाने की बात कही गई है। पारा–72 में आवेदक अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होने का वर्णन है। आवेदक की ओर से उसी दिन की घटना को लेकर पलटा मुकदमा बाढ़ थाना कांड संख्या <u>381/26</u> भी दर्ज होने की बात कही गई है। जख्म की प्रकृति साधारण है तथा धारदार हथियार से कारित नही की गई प्रतीत होती है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 11.06.26 से ही कारा में है।

उक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं अभियुक्त के कारावधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त गौतम यादव उर्फ गणेश कुमार को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000 रूपये का शपथयुक्त बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने के उपरांत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ